

झारखण्ड सरकार  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—  
कार्यकारी निदेशक, बजार भूमि विकास बोर्ड,  
झारखण्ड, रॉची।

*(१५/१२.२.१९)*  
विषय :— राष्ट्रीय राजमार्ग—32 (NH-32) राजगंज से बंगल सीमा तक चौड़ीकरण/चार लेनों में परिवर्तन हेतु ८.९६१५ हेठो वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची के पत्रांक—FP/JH/ROAD/16768/2013/1441 दिनांक—23.08.2017 द्वारा विषयक परियोजना को प्रदत्त स्टेज-II की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बजार भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक—984 दिनांक—12.09.2018 एवं पत्रांक—1300 दिनांक—18.12.2018 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षापरत राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक परियोजना में सन्निहित कुल—3.4655 हेठो अधिसूचित वनभूमि को विमुक्त किया जाता है। अवशेष ५.४९६० हेठो जंगल—झाड़ी भूमि का हस्तांतरण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक—1076/रा० दिनांक—16.04.2010 के अनुसार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉची के द्वारा किया जाना है।

रॉची, दिनांक—

कृपया सरकार के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुनील कुमार)  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक—वनभूमि—31/2013—

व०प०, रॉची दिनांक—

प्रतिलिपि—सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्विचर पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली—110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला न०-A-2, श्यामली कॉलोनी, रॉची, झारखण्ड—834002 को स्टेज-II के अनुपालन प्रतिवेदन की साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनु०—यथोक्त।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक—वनभूमि—31/2013—

व०प०, रॉची दिनांक—

प्रतिलिपि—सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉची को विषयक परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज-II की स्वीकृति संबंधी पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में सन्निहित ५.४९६० हेठो जंगल—झाड़ी भूमि का हस्तांतरण हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। अनु०—यथोक्त।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक—वनभूमि—31/2013—

व0प0, राँची दिनांक—

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/धनबाद/वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/परियोजना निदेशक, NHAI, क्षेत्रीय कार्यालय, B-402, रोड नं0-4C, अशोक नगर, राँची-834002 को सूचनार्थ एवं जावश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

ज्ञापांक—वनभूमि—31/2013

642

व0प0, राँची दिनांक—08/02/2013

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्याकान अंचल, राँची को विभागीय Website "forestjharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

642/19  
विशेष कार्य पदाधिकारी।